

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक:

प्रकाश चन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली - 110092 ।

पटना, दिनांक

15/12/09

विषय : हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल, मणिका विशुनपुर चाँद, थाना-मुशहरी, मुजफ्फरपुर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल, मणिका विशुनपुर चाँद, थाना-मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल प्राण एजुकेशनल फाउन्डेशन के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेंचाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रेंड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय प्रबंध समिति को दो एकड़ पचास डिसमिल भूमि 40वर्षों के लीज पर लिया गया है, जो मणिका विशुनपुर चाँद में है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 14 शिक्षक हैं। सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-
(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रुपया प्रतिवर्ष होंगे।

- (ii) विद्यालय में नर्सरी/के०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से **Draw of Lots** के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल, मणिका विशुनपुर चाँद, थाना-मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन,
६०/-

(प्रकाश चन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार

ज्ञापांक : 1126

पटना, दिनांक : 15/12/09

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक 1072 दिनांक 17.05.08 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

६०/-

संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार

ज्ञापांक : 1126

पटना, दिनांक : 15/12/09

प्रतिलिपि : प्राचार्य, हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल, मणिका विशुनपुर चाँद, थाना-मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार
14/12